प्रेस नोट   पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद   दिनांक 18.03.24

थाना सिहानीगेट पुलिस द्वारा पुराने मुकदमेबाजी के चलते विपक्षीगण को फंसाने, दबाव बनाने एवं दोषपूर्ण लाभ प्राप्त करने के उद्देश्य से पीड़िता के पुत्र द्वारा थाना सिहानीगेट पर पंजीकृत एसिड अटैक के झूठे अभियोग का किया खुलासा।

दिनांक 16.03.2024 को पीड़िता के पुत्र द्वारा थाना सिहानीगेट पर सूचना दी कि मोटरसाइकिल सवार दो अज्ञात व्यक्ति (वाईस्तवा अभियुक्त विजय, गौरव व सुधीर) द्वारा वादी की माँ पर न्यू पंचवटी से लौटते समय ई-रिक्शा में बैठकर गैस एजेन्सी सर्विस लेन मेरठ रोड़ के रास्ते जाने के दौरान समय लगभग 12.56 बजे मोटर साईकिल सवार दो अज्ञात व्यक्तियों द्वारा पीछे की ओर दाहिनी तरफ से एसिड अटैक किया गया और वे मोटरसाइकिल सवार वहाँ से आगे की ओर भाग गए। वहाँ से पीड़िता ई-रिक्शा से उतरकर पैदल नन्दग्राम कट पर पहुँचकर डिवाईडर पर बैठ गयी तदोपरान्त वहाँ ड्यूटीरत ट्रैफिक पुलिस कर्मी द्वारा नजदीकी ओम हेल्थ केयर पर प्राथमिक उपचार हेतु ले जाया गया। जहाँ से उसको यशोदा अस्पताल ले जाया गया। बर्न यूनिट न होने के कारण थाना सिहानीगेट पुलिस द्वारा पीड़िता को सफदरजंग अस्पताल दिल्ली ले जाकर भर्ती किया गया और पीड़िता के पुत्र द्वारा अभियोग पंजीकृत कराया गया।

<u>घटना का अनावरण का विवरण</u>

थाना सिहानीगेट पुलिस द्वारा तत्काल तीन टीमें गठित कर प्रथम सूचना रिपोर्ट में नामित दो अज्ञात मोटरसाइकिल सवार व वाईस्तवा अभियुक्त विजय, गौरव व सुधीर के बारे में गहनता से जानकारी करते हुए अभिलेखीय साक्ष्य व सर्विलांस सीसीटीवी कैमरा, भौतिक साक्ष्य संकलन के द्वारा कार्यवाही की गयी। पीड़िता द्वारा अपने बयान में पुलिस व मीडिया को बताया गया था कि वह ई-रिक्शा से नए बस अड्डे से नन्दग्राम कट तक गयी थी। जबकि पूरे रास्ते का सीसीटीवी फुटैज देखा गया जिसमें पीड़िता पैदल ही जाती दिखी। जिससे पीड़िता के बयान संदिग्ध प्रतीत होने लगे और घटना पर और गहराई से कार्य करने की आवश्यकता समझी गयी।

पीड़िता द्वारा दिनांक 16.03.24 को उसके पुत्र/ वादी मुकदमा द्वारा अपनी मोटरसाइकिल से राशन लेने हेतु संगम विहार नन्दग्राम से सरकारी राशन की दुकान न्यू पंचवटी निकट भाटिया मोड थानाक्षेत्र कोतवाली अन्तर्गत छोडा गया और वह वापिस अपने काम पर चला गया। पीड़िता मुकदमा द्वारा वहाँ पर राशन लेने हेतु लगभग दो घंटे इन्तजार किया और सर्वर डाऊन होने की वजह से राशन न मिल पाने के कारण वहाँ से पैदल ही न्यू पंचवटी कालोनी के गेट से बाहर निकलकर गेट पर स्थित प्रदीप किराना स्टोर से टायलेट क्लीनर की बोतल लेकर नए बस स्टैण्ड पर आकर वहाँ से बोतल को राशन लेने हेतु लाए गए थैले में रखकर पटेल नगर सर्विस रोड पर पैदल पैदल चलकर निम गैस एजेन्सी से आगे निकलकर मन्दिर के पास बोतल से अपने ऊपर अपने बांए हाथ से दाहिने कन्धे के ऊपर टायलेट क्लीनकर को डाला गया। और बोतल को वहीं मन्दिर के पास नाले में फैंक दिया गया। और फिर वहाँ से भी पैदल चलकर नन्दग्राम कट पर जाकर डिवाईडर पर बैठ गयी और ट्रैफिक पुलिस कर्मी द्वारा देखने पर अपनी मनगढंत कहानी सुनायी तब ट्रैफिक पुलिस कर्मी द्वारा नजदीकी ओम हेल्थकेयर ले जाया गया।

विवेचना के दौरान यह तथ्य भी पाए गए कि पीड़िता सुमन का परिचित/विश्वासपात्र अभिषेक शर्मा पुत्र जयभगवान शर्मा नि0 मुरादनगर गाजियाबाद जो कि तहसील गाजियाबाद में काम करता है जिसको पूछताछ हेतु थाने पर लाया गया। चूँकि अभिषेक शर्मा पीड़िता का मित्र/विश्वास पात्र है जिस कारण पीड़िता उसपर पूर्ण रूप से विश्वास करती है। पुलिस के सामने अभिषेक से पीड़िता की फोन पर वार्ता करायी गयी जिस पर पीड़िता द्वारा खुद से रचित एसिड अटैक की घटना की पूरी सच्चायी अभिषेक को बता दी। जिसकी रिकार्डिंग करायी गयी। पीड़िता द्वारा बताया गया कि पीड़िता उपरोक्त के पति का वर्ष 2022 में वाईस्तवा अभियुक्त सुधीर कौशिक की स्वदेशी मिल कम्पाउंड में काम करने के दौरान आग लगने से दुर्घटना में जल जाने के कारण दौराने उपचार सफदरजंग अस्पताल दिल्ली में मृत्यु हो जाने के उपरान्त फैक्ट्री मालिक सुधीर कौशिक व उसका साथी गौरव चौहान व पीड़िता के मृतक पति के सहकर्मी विजय श्रीवास्तव के विरूद्ध थाना कविनगर पर मु0अ0सं0 784/22 धारा 323, 504, 304ए भादवि पंजीकृत कराया गया था। उक्त अभियोग में सम्बन्धित थाना कविनगर के विवेचक द्वारा आरोप पत्र प्रेषित किया जा चुका है तथा पीड़िता उपरोक्त द्वारा अपने पति की स्वदेशी मिल कम्पाउंड में काम करने के दौरान हुई दुर्घटना के सम्बन्ध में एक वाद लेबर कोर्ट में भी डाला गया है। जिसमें सुधीर कौशिक को पक्षकार बनाया गया था। थाना सिहानीगेट पर पंजीकृत कराए गए एसिड अटैक से सम्बन्धित अभियोग से एक दिन पूर्व ही लेबर कोर्ट में विचाराधीन वाद/मामले में थाना कविनगर पर पंजीकृत मुकदमा उपरोक्त अन्य दो अभियुक्त गौरव व विजय को भी पक्षकार बनाया जाना प्रकाश में आया। लेकिन मुझे मुकदमों से कोई आर्थिक लाभ नहीं मिला जिससे में निराश हो गयी। कोई रास्ता समझ में नहीं आया , तो मैने गौरव, विजय और सुधीर को फंसाने के लिए दुकान से टायलेट क्लीनर की बोतल लेकर पटेलनगर सर्विस रोड पर मन्दिर के पास अपने ऊपर डाल ली और खाली बोतल को नाले में फेंक दी और तुरन्त अपने लड़के / वादी मुकदमा को फोन कर दिया और मीडिया को फोन करते हुए जब मुझे ट्रैफिक पुलिस कर्मी दिखायी दिया तो उसके पास जाकर बैठ गयी।

विवेचना में दुकानदार प्रदीप किराना स्टोर द्वारा पूछताछ पर बताया गया कि दिनांक 16.03.24 को एक महिला के द्वारा मेरी दुकान से टायलेट क्लीनर की बोतल 30 रूपये में खरीदी गयी थी। फोटो दिखाने पर पहचान कराया तो बताया कि यह वही महिला जो मेरी दुकान पर आयी थी और टायलेट क्लीनर की बोतल खरीदी थी। पास ही की दूसरी दुकान के लगे सीसीटीवी कैमरे में पीड़िता उक्त प्रदीप किराना स्टोर से आती हुई देखी गयी। पटेलनगर मार्ग पर महिला किसी भी ई-रिक्शा / टेम्पो में न बैठकर पैदल पैदल जाती दिखायी दी गयी। जो अज्ञात मोटरसाइकिल पर बैठे व्यक्ति पीड़िता द्वारा घटनास्थल पर घटना कारित करते हुए बताए गए। जिनका हुलिया पीड़िता द्वारा अपने बयानो में बताया वह व्यक्ति घटनास्थल से पीड़िता से लगभग 04 मिनट पहले निकले थे जो कि 400 मीटर आगे जाकर लोहे की शीट खरीदने हेतु दुकान पर रूक गए।

सीडीआर विश्लेषण पीड़िता द्वारा बताए गए वाईस्तवा अभियुक्तगणों की किसी प्रकार की लोकेशन/बातचीत घटना के समय घटनास्थल या उसके आसपास नहीं पायी गयी।

अब तक की विवेचनात्मक कार्यवाही व साक्ष्य संकलन से मुकदमा उपरोक्त में नामित वाईस्तवा अभियुक्त गौरव, विजय सुधीर की नामजदगी असत्य पायी गयी तथा पीड़िता द्वारा अनुचित लाभ पाने के लिए स्वयं ही उक्त घटना कारित की गयी है। जिसके सम्बन्ध में पीड़िता व वादी के विरूद्ध वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

थाना सिहानीगेट पुलिस टीम द्वारा धोखाधडी कर माल को चोरी करने वाले 03 शातिर अभियुक्तगण गिरफ्तार, कब्जे से डमी स्पीकर बरामद

दिनांक 17.03.2024 को वादी की लिखित तहरीर के आधार पर अज्ञात अभियुक्त द्वारा वादी के द्वारा फिल्पकार्ट से ऑर्डर किए 55000/- रूपए का सोनी कम्पनी के स्पीकर के बदले बॉक्स में खाली डिब्बा रख देने के संबंध में

थाना सिहानी गेट पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया। घटना के शीघ्र अनावरण हेतु पुलिस टीम का गठन किया गया। पुलिस टीमों के अथक प्रयास, मोबाइल सर्विलांस, लोकल इनपुट व मुखबिर की सूचना के आधार पर दिनांक 18.03.2024 को धोखाधडी कर माल चोरी करने वाले 03 शातिर अभियुक्तगण 1.सुमित कुमार 2.सौरभ 3.चन्दन कुमार को दयानन्दनगर से चेकिंग के दौरान गिरफ्तार किया गया।

<u>पूछताछ का विवरणः-</u>

अभियुक्तगण द्वारा पूछताछ पर अभियुक्त सौरभ व चन्दन ने बताया कि साहब फ्लिपकार्ट के मैन वेयर हाउस से जो सामान हमारे वेयर हाऊस में आता है। उसमें मंहगे और अच्छे प्रोडक्ट का छांट कर उनके बाक्स में डमी या उतने ही वजन का कोई भी डमी सामान रखकर कस्टमर को डिलीवर करा देते हैं और ओरिजनल सामान को मंहगे दामों पर बेचकर लाभ कमाते हैं।

<u>नाम पता अभियुक्त-</u>

1. सौरभ पुत्र श्री रमेश कुमार निवासी म0न0 866 पाना बारसान टिकरी कलां बेस्ट दिल्ली 110041 (IIIrd पार्टी वेयर हाउस इंचार्ज)

2. चन्दन कुमार पुत्र श्री गंगा प्रसाद निवासी म0न0 486 राजीव नगर खोड़ा कालोनी थाना खोड़ा गाजियाबाद (IIIrd पार्टी वेयर हाउस टीम लीडर)

3.सुमित कुमार पुत्र श्री राजकुमार सैनी निवासी म0न0 455 कमला क्वार्टर थाना सिहानीगेट गा0बाद (डिलीवरी बॉय)

<u>बरामदगी का विवरणः-</u>

सोनी के कार्टन में स्पीकर होम थियेटर के स्थान पर डमी डीजे कॉलम का बॉक्स

<u>गिरफ्तार एवं बरामदगी करने वाली टीमः-</u>

थाना सिहानीगेट पुलिस टीम